राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर

पंचम तल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर– 302 005
दूरभाष नं. 0141–2227404 email: me.jaipur@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– खअ / जय / निविदा–08 / 2024–25 / दिनांक :–

नीलामी सूचना प्रकाशन 08 / 2024–25

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जयपुर जिले के विभिन्न राजस्व ग्रामों के खातेदारी / सरकारी खसरों में अवैध खनन / निर्गमन चैकिंग के दौरान एमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60 के तहत जब्तशुदा खनिज चेजा पत्थर / क्वार्टज खनिज जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में नीलामी हेतु दरें सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। जिनका विवरण निम्न तालिका व विभागीय बेवसाईट www.mines.rajasthan.gov.in, Portal https://sppp.rajasthan.gov.in एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रपत्र 1,000/– रू का डी.डी. / बैंकर्स चैक "खनि अभियंता जयपुर" (MINING ENGINEER JAIPUR) के नाम से जमा कराकर किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 07–10–2024 (दोपहर 3.00 बजे) तक कार्यालय खनि अभियंता, पंचम तल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर से प्राप्त किये जा सकते है।

नीलामी हेतु खनिज चेजा पत्थर समूहों का संक्षिप्त विवरण–

क्रम सं.	तहसील,राजस्व ग्राम एवं खसरा नंबर जंहा खनिज पडा हुआ है	खनिज का नाम	खनिज की अनुमानित मात्रा (टनों मे)	बयाना / अमानता राशि	न्यूनतम बोली राशि (रू.) / (प्रति टन)
1	बस्सी, घाटा खसरा संख्या 216	चेजा पत्थर	1110	9768.00	440.00
2	बस्सी, दयारामपुरा खसरा संख्या 110 / 1	चेजा पत्थर	1293	11378.00	440.00
3	बस्सी, दयारामपुरा खसरा संख्या 119	चेजा पत्थर	6643.62	58464.00	440.00
4	बस्सी, दयारामपुरा खसरा संख्या 116,120 व 200 / 39	चेजा पत्थर	7800	68640.00	440.00
5	बस्सी, दयारामपुरा खसरा संख्या 103	चेजा पत्थर	960	8448.00	440.00
6	बस्सी, दयारामपुरा खसरा संख्या 10	चेजा पत्थर	450	3960.00	440.00

नीलामी हेतु खनिज क्वार्टज समूहों का संक्षिप्त विवरण–

क्रम सं.	तहसील,राजस्व ग्राम एवं खसरा नंबर जंहा खनिज पडा हुआ है	खनिज का नाम	खनिज की अनुमानित मात्रा (टनों मे)	बयाना / अमानता राशि	न्यूनतम बोली राशि (रू.) / (प्रति टन)
1	बस्सी, घाटा खसरा संख्या 216	क्वार्टज	150	4050.00	1350.00
2	बस्सी, दयारामपुरा खसरा संख्या 10	क्वार्टज	50	1350.00	1350.00

आठ समूहों (खातेदारी / सरकारी खसरे) में पडे जब्तशुदा चेजा पत्थर / क्वार्टज की प्रत्येक समूह के लिए अलग–अलग बोली दरें सीलबंद लिफाफे मे दिनांक 07–10–2024 (सायंकाल 5.00 बजे) तक प्राप्त की जायेगी। निर्धारित समय तक प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 08–10–2024 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जायेगे। नीलामी की शर्ते एवं विस्तृत जानकारी विभागीय बेवसाईट www.mines.rajasthan.gov.in एवं पोर्टल https://sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगी व किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

UBN – MIN2425WLOB00050

RajKaj Ref
10541225

खनि अभियंता

Signature valid
Digitally signed by Shyam Kapari
Designation: Mining Engineer
Date: 2024.09.18 16:11:11 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर
पंचम तल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर– 302 005
दूरभाष नं. 0141–2227404 email: me.jaipur@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– खअ/जय/निविदा–08/2024–25/ दिनांक :–

नीलामी हेतु उपलब्ध खनिजों का विवरण

जयपुर जिले के विभिन्न राजस्व ग्रामों में खातेदारी/सरकारी भूमि एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से दर्ज भूमियों में अवैध खनन/निर्गमन चैकिग के दौरान जब्त शुदा खनिजों की नीलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरे दिनांक 07–10–2024 (सायंकाल 5.00 बजे) तक कार्यालय खनि अभियन्ता, जयपुर, पंचम तल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम जयपुर के कमरा नं. 504 में आमंत्रित की जाती है। **प्राप्त सीलबंद लिफाफेकमेटी द्वारा दिनांक** 08–10–2024 **को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित नीलामीदाताओं के समक्ष कमरा नंबर 504 में खोली जायेगी,** जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

नीलामी हेतु खनिज चेजा पत्थर समूहों का संक्षिप्त विवरण–

क्रम सं.	तहसील,राजस्व ग्राम एवं खसरा नंबर जंहा खनिज पडा हुआ है	खनिज का नाम	खनिज की अनुमानित मात्रा (टनों मे)	बयाना/ अमानता राशि	न्यूनतम बोली राशि (रू.)/(प्रति टन)
1	बस्सी, घाटा खसरा संख्या 216	चेजा पत्थर	1110	9768.00	440.00
2	बस्सी, दयारामपुरा खसरा संख्या 110/1	चेजा पत्थर	1293	11378.00	440.00
3	बस्सी, दयारामपुरा खसरा संख्या 119	चेजा पत्थर	6643.62	58464.00	440.00
4	बस्सी, दयारामपुरा खसरा संख्या 116,120 व 200/39	चेजा पत्थर	7800	68640.00	440.00
5	बस्सी, दयारामपुरा खसरा संख्या 103	चेजा पत्थर	960	8448.00	440.00
6	बस्सी, दयारामपुरा खसरा संख्या 10	चेजा पत्थर	450	3960.00	440.00

नीलामी हेतु खनिज क्वार्टज समूहों का संक्षिप्त विवरण–

क्रम सं.	तहसील,राजस्व ग्राम एवं खसरा नंबर जंहा खनिज पडा हुआ है	खनिज का नाम	खनिज की अनुमानित मात्रा (टनों मे)	बयाना/ अमानता राशि	न्यूनतम बोली राशि (रू.)/(प्रति टन)
1	बस्सी, घाटा खसरा संख्या 216	क्वार्टज	150	4050.00	1350.00
2	बस्सी, दयारामपुरा खसरा संख्या 10	क्वार्टज	50	1350.00	1350.00

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्ते निम्नानुसार रहेगी :–

1. निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से राजस्व ग्राम का नाम व खसरा संख्या/ क्षेत्र का नाम एवं खनिज का नाम लिखा होना चाहिए। सभी निविदाऐं कार्यालय खनि अभियन्ता जयपुर खनिज भवन, पंचम तल के कमरा नं. 504 पर रखे टेण्डर बॉक्स में दिनांक 07–10–2024 (सायंकाल 5.00 बजे) तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक स्टॉक के लिये अलग–अलग निविदा अलग–अलग लिफाफें में प्रस्तुत की जायेगी (प्रत्येक के लिये एक)।निविदा के साथ उपर वर्णितानुसार बयाना/अमानत राशि का **डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक** जो **खनि अभियन्ता, जयपुर** के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ सीलबन्द लिफाफें में प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई निविदादाता अलग–2 खसरा संख्या जिसमें खनिज पडा है, लिये निविदा प्रस्तुत करता है तो बयाना/अमानता राशि के **डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक** भी अलग–अलग ही संलग्न करने होंगे।
3. निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि निविदादाता या [illegible] फर्म के भागीदारो/कम्पनी, कम्पनी के निदेशको या परिवार के सदस्यो के विरुद्ध [illegible] कोई राशि बकाया नही है।
4. जब्तशुदा खनिजो की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तु[illegible] किसी भी कार्य दिवस में संबंधित मौके पर की जा सकती है।

RajKaj Ref 10541225

Signature valid
Digitally signed by Shyam Kapari
Designation: Mining Engineer
Date: 2024.09.18 1[illegible] IST
Reason: Approved

5. **जब्तशुदा खनिज जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपुर्द की जावेगी। बोलीदाता जब्तशुदा/नीलामी किये जाने वाले खनिज की मात्रा के संबंध में मौके पर तस्दीक स्वयं के स्तर पर नीलामी से पूर्व कर लेवें। इस संबंध में बाद नीलामी कोई उज्र मान्य नही होगा।**

6. प्राप्त निविदाऐं कमेटी द्वारा दिनांक 08–10–2024 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष कमेटी हॉल पंचम तल पर खोली जायेगी एवं उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को सम्पूर्ण राशि जमा कराने का पत्र दिया जावेगा। पत्र प्राप्ति के 3 कार्य दिवस में निविदा में अंकित मात्रा के अनुसार उच्चतम बोली के आधार पर बनने वाली सम्पूर्ण राशि एकमुश्त जमा कराने पर खनिज उठाने की अनुमति जारी की जावेगी अनुमति जारी होने से 10 दिवस में समस्त खनिज का उठाव करना होगा अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये खनिज पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।

7. निविदादाता को खनिजों के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, लेबर व परिवहन इत्यादि) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

8. निविदादाता को एड्रेस प्रुफ, फोटो आईडी प्रुफ इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्त्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशको की सूची इत्यादि की प्रति स्वःहस्ताक्षरित साथ लाना होगा।

9. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।

10. उच्चतम निविदादाता को बोली राशि के अलावा GST/Taxआदि नियमानुसार अतिरिक्त जमा कराना होगा।

11. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा के संबंध में यदि कोई उज्र/आपत्ति होने पर इस पर निर्णय करने का सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।

12. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरांत कार्यालय खनि अभियन्ता जयपुर द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुसार ई–रवन्ना/ई–टी.पी जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना ई–रवन्ना/ई–टी.पी के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।

13. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व इनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा।

14. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलामी की गई खनिजों के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय ई–रवन्ना/ई–टी.पी वाहनो की फोटो एवं कम्प्यूटीकृत/अधिकृत तुला यंत्र के वजन की पर्ची कार्यालय में प्रस्तुत करेगे।

15. शेष सभी शर्ते सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार होगी।

(श्याम कापडी)
खनि अभियन्ता जयपुर
दिनांक :

क्रमांकः– खअ/जय/नीलामी–08/2024–25/

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
2. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोट किये जाने हेतु।
4. जिला कलक्टर जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर क्षेत्र जयपुर।
6. अधीक्षण खनि अभियन्ता जयपुर वृत जयपुर।
7. थानाधिकारी पुलिस थाना कानोता, बस्सी।
8. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को एसपीपीपी पोर्टल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

खनि अभियन्ता, जयपुर।

RajKaj Ref
10541225

Signature valid
Digitally signed by Shyam Kapari
Designation: Mining Engineer
Date: 2024.09.18 1?:11:11 IST
Reason: Approved